न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 167/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01. भंवरसिंह पुत्र उदयसिंह 02. ईश्वरसिंह पुत्र भंवरसिंह 03. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह 04. भूपेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चांदपोल गेट के बाहर, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

01. श्री विक्रमसिंह, श्री जय तंवर अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।

दिनांक : 07/08/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बागावास तहसील सोजत जिला पाली में स्थित वर्तमान खाता सं0 474 के खसरा नंबर 80 रकबा 1.9708 है0 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त आयी हुई स्थित है तथा प्रार्थी की भूमि के समीप ही अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 80/1 रकबा 0.0492 हैक्टर की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खसरा नंबर 80 का पुराने राजस्व रेकर्ड में 2.0200 हैक्टर इन्द्राज थी, तत्पश्चात उक्त भूमि में हाईटेशन लाईन गुजरने के कारण से विद्युत विभाग के द्वारा खसरा नंबर 80 में से 0.0492 हैक्टर की भूमि पर विद्युत हाईटेशन पोल को खड़ा किया गया था उस समय खसरा नंबर 80/1 में मौके पर विद्युत पोल खड़ा किया जाकर उसी अनुसार मौका रिपोर्ट बनायी गयी तथा नक्शा बनाया गया था तथा शेष भूमि में प्रस्तावित रास्ता बनाया गया था। परन्तु मौका नक्शा बनाने के पश्चात ऑनलाईन तरमीम करते समय खसरा नंबर 80/1 की तरमीम खसरा नंबर 80 के पूर्व दिशा खसरा नंबर 106 के पड़ौस में तरमीम करने स्थान पर उतर दिशा में खसरा नंबर 85 के समीप कर दी गयी है जबकि मौके पर खसरा नंबर 106 के समीप खसरा नंबर 80/1 मौजूद हैं। जो मौके एवं नक्शा से भिन्न है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम बागावास के खसरा नंबर 80/1 एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 80 की भूमि के संबंध में मौके पर कब्जा की स्थिति की संबंधित पटवारी हल्का से जांच करवायी जाकर मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड ट्रैस नक्शा में तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्ती कर शुद्धि करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0 पत्र पेश नहीं करने अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया जाता हैं।

प्रकरण में वादस्थ भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बागावास के

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

ख0नं0 80/1 राजस्व रेकर्ड में खाता सं0 01 रकबा 0.0492 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज तथा खसरा सं0 80 खाता सं0 474 रकबा 1.9708 है0 किस्म बा0अ0 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उक्त खसरे की पूर्व की तरमीम रास्ता मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है, मौके पर रास्ते के अन्दर विद्युत लाईन का बड़ा खम्भा है, जिससे रास्ता प्रभावित होता है, इसलिए ख0नं0 80 के काश्तकारों ने रास्ता दिया है, जो रास्ते के पास है। तरमीम त्रुटिवश गलत दर्ज हो गई हैं, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 252/1 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम को दुरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार वास्तविक स्थिति के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में संशोधन करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 80/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की तरमीम ख.नं. 85 के चिपते कर दी गई, जबकि मौके पर ख.नं. 80/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की तरमीम ख0नं0 106 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 75 के चिपते स्थित हैं, तहसीलदार सोजत ने भी अपनी रिपोर्ट में तरमीम त्रुटिवश गलत दर्ज होना अंकित किया हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बागावास, प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत में स्थित ख.नं. 80/1 किस्म गै0मु0 रास्ता की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द में मौके की स्थिति अनुसार ख0नं0 106 किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0नं0 75 के चिपते की जाकर तरमीम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 07/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत